सर, उत्तर प्रदेश में देवीपाटन एक मंडल है। उस मंडल का हैड क्वाटर गौंडा जनपद में बनने वाला था। वहां का जो बार एसोसिएशन है और जो वहां के वकील थे, वहां के जो आम निवासी थे, वे लोग चाहते थे कि कमिश्नरी मुख्यालय जो वहां कलेक्ट्रेट का परिसर है और उसके पास में ही दीवानी न्यायालय है, उसके पास एक खाली जमीन थी, वहां पर उस मुख्यालय को बनाया जाए। लेकिन जिला प्रशासन कमिश्नरी मंडल के मुख्यालय को वहां से दूर बनाना चाहता था। इसी बात को लेकर के गौंडा बार एसोसिएशन लम्बे समय से, जनवरी 2009 से, वह मुख्यालय कचहरी परिसर में बनाया जाए, इसके लिए आंदोलन कर रहा था। उनका जो आंदोलन था, वह शांतिपूर्वक धरना देने का जनवरी, 2009 से चल रहा था। इसी 9 जुलाई को वकीलों का एक जलूस शांतिप्रिय ढंग से निकाला, जो कचहरी परिसर में तीन-चार फर्लांग तक ही गया होगा, वहां पर पहले से सुनियोजित ढंग से पूरा जिला प्रशासन, वहां के एडीएम, एडिशनल एस.पी. और सैकड़ों की संख्या में पी.ए.सी. के जवान मौजूद थे। वहां पर वकीलों के जलूस के ऊपर सुनियोजित ढंग से लाठी चार्ज किया गया। इस लाठी चार्ज में सैकड़ों वकील तथा सैकड़ों आम लोग घायल हो गए। जिला चिकित्सालय में 78 वकीलों का मेडिकल परीक्षण हुआ और हद इतनी हो गई कि वहां से करीब तीन फर्लांग की दूरी पर बार एसोसिएशन का दफ्तर था, उसके अंदर पुलिस घुस गई। ...(**समय की घंटी**)... उसने वहां के वकीलों की फाइलों को फाड़ने का काम किया, उनके फर्नीचर को तोड़ने का काम किया। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकार को बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री वीर पाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री बृज भूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

Concern over the incident of a woman paraded naked in Agra

श्री बृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं आज सदन का ध्यान अलीगढ़ जनपद के ग्राम परियाल में घटी एक बहुत ही शर्मनाक और जंगलीय घटना की तरफ खींचना चाहता हूं। वहां गांव में प्रेम-प्रसंग को लेकर दो परिवारों में विवाद हुआ और उसी विवाद के चलते एक पक्ष जो लड़के का था, उसकी मां को दूसरे पक्ष के लोगों ने मारा-पीटा। उसको मारने-पीटने के बाद, नंगा करके पूरे गांव में घुमाया। महोदय, यह सचमुच बहुत ही शर्मनाक घटना है, परन्तु यह घटना केवल अलीगढ़ की ही नहीं है, अक्सर समाचार-पत्रों में इस प्रकार की घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं। अभी कुछ दिन पहले इसी प्रकार की घटना राजस्थान में हुई थी, मध्य प्रदेश में हुई थी और देश के अन्य हिस्सों में इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। यह बहुत ही गंभीर बात है और इसका कारण यह है कि जो वहां की सरकार है, वहां की पुलिस है, उसे ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत जो कार्यवाही करनी चाहिए, वह नहीं की जाती है। अक्सर यह होता है कि जो जहां पर दबंग जाति का होता है या शक्तिशाली व बड़े परिवार का होता है अथवा कोई बड़ा आदमी, जिसकी राजनैतिक हस्ती होती है या दौलत की हस्ती होती है, ऐसे लोगों के खिलाफ, स्थानीय पुलिस या स्थानीय अधिकारी कोई कार्यवाही करने से गुरेज करते हैं या हिचकते हैं। इसलिए मैं सदन के माध्यम से इस अत्यंत गंभीर मसले को उठाना चाहता हूं कि इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए

और दोषी लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की शर्मनाक और असभ्य घटनाएं भविष्य में न घटें। धन्यवाद।

श्री वीर पाल यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूं।

Non-disclosure of facts by the Government relating to death of former Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड) : उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 11 जनवरी, 1966 को हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की बड़ी संदिग्ध अवस्था में, ताशकंद में मौत हो गई थी। महोदय, उन्होंने 1965 की लड़ाई के बाद 10 जनवरी, 1966 को पाकिस्तान और रसियन मीडिएशन के बीच एक समझौता किया था। उन्होंने 8 बजे एक रिसेप्शन अटैंड किया और दस बजे अपने कमरे में आकर भोजन किया तथा दूध पीकर सो गए। रात को उनको तकलीफ हुई और वे कोफिंग करने लगे तथा उसके बाद उन्होंने अपने फलॉस्क से पानी पिया। पानी पीने के बाद वे बहुत ही विचलित हो गए और उन्होंने डॉक्टर, डॉक्टर कहकर पुकारा। डॉक्टर आए और वे डॉक्टर चुग को दिखा रहे थे कि पानी के फलॉस्क में कुछ है। उस फलॉस्क की तरफ इशारा करते-करते वे बेहोश हो गए और अंततः वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। इसकी जांच-पड़ताल की मांग पहले बहुत बार हुई है, इस सदन में हुई है और बाहर भी हुई है। सरकारों ने मांग की, पर उसका कुछ पता नहीं लगा। अब RTI के तहत यह मांगा गया कि इसके साथ जुड़े हुए पत्र व रिपोर्ट, सब दिए जाएं। यह पूछा गया है कि उनका पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 1 जुलाई को जवाब दिया कि उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। जब यह पूछा गया कि उनसे संबंधित कागजात जो प्रधान मंत्री कार्यालय में आए हों, उनकी रिपोर्ट आई हो, उन सबकी प्रतिलिपि दी जाए। इसका जवाब दिया गया कि "this office possesses only one classified document, copy of which cannot be provided under Section 8(1)(a) of the RTI Act".

अब RTI Act का 8(1)(a) यह कहता है कि "information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific and economic interests of the State, relation with foreign State or lead to incitement of an offence" इसके तहत नहीं दिया गया। मेरा यह कहना है कि हमारे देश का प्रधान मंत्री मर जाए और हम इस चीज के लिए इंफॉरमेशन न दें कि रसिया से हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, तो यह दुर्भाग्यजनक है। इस गहराई को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किन हालातों में लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई, क्या वह हत्या थी, क्या कोई षडयंत्र था? उनकी पत्नी लीला शास्त्री जी ने उस वक्त कहा था कि जो उनका फलॉस्क था, जो बैड साइड पर पानी पीने के लिए रखा था, that was spite. आज तक उसके बारे में कोई भी चीज हमारे सामने नहीं रखी गई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस क्लासिफाइड डॉक्युमेंट को डी-क्लासिफाइड करके दिखाया जाए। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : महोदय, जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : महोदय, जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करती हूं।